न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-03, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांकः 09-04-2026
सेशन प्रकरण संख्या:16/22
सी.आई.एस नंबर 41/22
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या -747/20 थाना सदर अलवर
अंतर्गत धारा -3/8, 4/8 राजस्थान गौवंशीय पशु [वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन] नियम 1995

अभियोगीः-

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
उपस्थितः-अभियोजन अधिकारी ।
-श्री अजीत यादव, अभियोजन अधिकारी ।

बनाम

अभियुक्तगणः-

1. ईकबाल पुत्र श्री गजसिंह
2. शौकिन पुत्र ईकबाल
3. हारून पुत्र फजरू
4. छुट्टी उर्फ भूरा पुत्र गजसिंह
5. अनीश खान पुत्र छुट्टी
6. सलीम खान पुत्र रजमत

निवासीयान चन्द बास चिरखाना थाना सदर जिला अलवर

उपस्थितः-श्री मौहम्मद रहमुदीन विद्वान अधिवक्ता ।

-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

अपराध की तिथि	23.11.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	24.11.2020
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	22.03.2022
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	20.12.2022, 14.02.2023

साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	01.05.2023
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	09.04.2026
निर्णय की तिथि	09.04.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि [यदि हो तो]	09.04.2026

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची-

क.अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी डब्ल्यू 1	रूपचंद	हालात तफतीश
पी डब्ल्यू 2	हरिकिशन	नक्शा मौका, बयान 161 सीआरपीसी, फर्द जब्ती व फर्द गिरफतारी
पी डब्ल्यू 3	ज्येष्ठा मैत्रेयी	ताईद एफआईआर
पी डब्ल्यू 4	रमेश चंद	नक्शा मौका, बयान 161 सीआरपीसी, फर्द जब्ती, फर्द गिरफतारी
पी डब्ल्यू 5	दिलीप	नक्शा मौका, फर्द गिरफतारी
पी डब्ल्यू 6	मनोज कुमार	हालात तफतीश
पी डब्ल्यू 7	डॉ0 विमल कुमार	चिकित्सक साक्षी
पी डब्ल्यू 8	डॉ0 जितेन्द्र यादव	चिकित्सक साक्षी
पी डब्ल्यू 9	डॉ0 संजीव खां	चिकित्सक साक्षी

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	निल	निल

-अभियोजन /बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची-

क.अभियोजन

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	दस्तावेजो की प्रकृति
1	प्रदर्श पी–01	फर्द निरीक्षण नक्शा मौका घटनास्थल
2	प्रदर्श पी–02	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त छुट्टी उर्फ भुरा
3	प्रदर्श पी–03	फर्द गिरफ्तारी एव जामा तलाशी अभियुक्त हारुन
4	प्रदर्श पी–04	फर्द गिरफ्तारी एव जामा तलाशी अभियुक्त अनीश खांन
5	प्रदर्श पी–05	फर्द गिरफ्तारी एव जामा तलाशी अभियुक्त सलीम खांन
6	प्रदर्श पी–06	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल
7	प्रदर्श पी–07	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल
8	प्रदर्श पी–08	मृत गोवंश के खाल एवं मांस का पोस्टमार्टम कराने बोर्ड गठित बाबत् प्रार्थना पत्र
9	प्रदर्श पी–09	फर्द डस्टरोयन(निस्तारण) गो अवशेष व गो मांस
10	प्रदर्श पी–10	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त इकबाल
11	प्रदर्श पी–11	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त शौकीन
12	प्रदर्श पी–12	फर्द जप्ती वजह सबूत उपकरण कुल्हाडी, 2 छुरी लोहा, एक तराजु मय 5 किलो बाट लोहे का व लकडी का गुटका

13	प्रदर्श पी–13	फर्द जप्ती वजह सबूत गौवंश मांस के टुकडे 20 वजन करीब 100 किलो व गौवंश अवशेष
14	प्रदर्श पी–14	फर्द जप्ती वजह सबूत मोटरसाइकिल नम्बर आर.जे. 02 बी.एन. 6251 कम्पनी हीरो एच.एफ डीलक्स अजकब्जा बाल अपचारी जाहिद
15	प्रदर्श पी–15	फर्द जप्ती वजह सबूत मोटरसाइकिल नम्बर आर.जे. 02 जेड.एस. 0909 कम्पनी हीरो एच.एफ डीलक्स अजकब्जा मुलजिम शौकीन
16	प्रदर्श पी–16	फर्द जप्ती वजह सबूत मोटरसाइकिल नम्बर आर.जे. 02 बी.एन. 2387 कम्पनी हीरो एच.एफ. डीलक्स अजकब्जा मुलजिम इकबाल
17	प्रदर्श पी–17	प्रथम सूचना रिपोर्ट
18	प्रदर्श पी–18	प्रकरण से संबंधित रोजनामचा रपट
19	प्रदर्श पी–19ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि
20	प्रदर्श पी–20	एफ.एस.एल. जमा रसीद
21	प्रदर्श पी–21	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
22	प्रदर्श पी–22 लगायत प्रदर्श पी–26	प्रकरण से संबंधित रोजनामचा रपट
23	प्रदर्श पी 27	परीक्षण रिपोर्ट
24	प्रदर्श पी 28	एफएसएल भेजने की तहरीरी
25	प्रदर्श पी 47	मजमून रिपोर्ट

नोट–अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्श पी 28 के बाद सीधे ही प्रदर्श पी 47 अंकित किया गया है।

क.बचाव

क्रम संख्या	**दस्तावेजों की प्रकृति**	**प्रदर्श डी. संख्या**

1	निल	निल

निर्णय **दिनांक: 09.04.2026**

01. यह सेशन प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय से **अभियुक्तगण** **1.** ईकबाल **2.** शौकिन **3.** हारून **4.** छुट्टी उर्फ भूरा **5.** अनीश खान **6.** सलीम खान के विरूद्ध अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ ।

02. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि **परिवादी ज्येष्ठा मैत्रेयी** ने एक रिपोर्ट प्रदर्श पी 47 इस आशय की प्रस्तुत की कि "दिनांक 23.11.2020 को रात्रि 10.55 बजे सूचना मिली कि ग्राम चन्दबास में छुट्टा उर्फ भूरा अपने घर गौकशी कर रहा है। उक्त ईत्तला पर श्री रूपचंद एएसआई को मय कानि. रमेश चंद 786, हरिकिशन कानि. 134, मय बोलेरो सरकारी चालक पप्पू 519 के रवाना किया गया । मौके से एएसआई रूपचंद द्वारा घटना की तस्दीक होने पर थानाधिकारी ज्येष्ठा मैत्रेयी मौके पर रवाना हुई । एवं जाब्ता के साथ बेडा का बास तन चंदबास छुट्टा उर्फ भूरा पुत्र गजसिंह के घर पहुंचे । तो करीब 6 शख्स वहां मौजूद मिले । शख्सों के पास तीन मोटरसाईकिल खडी मिली । जिनके नंबर क्रमशः आर.जे 02 बी.एन 6251, आर.जे 02 जेड.एस 0909, आर.जे 02 बी.एन 2387 थे । जिनके उपर लटके थैलों में गौ मांस भरा हुआ था।

03. साथ ही पास में छुर्रे, तराजू बाट लकडी का गुटका , कुल्हाडी मांस के टुकडे बिखरे हुए थे । मौके की फोटोग्राफी करवायी गयी । पशु चिकित्सक चिकित्सालय रायबका को जरिये मोबाईल सूचना दी जाकर मौके पर उपस्थित आने को निवेदन किया गया । इसी दौरान अंधेरा का फायदा उठाकर दो शख्स भाग गये । शेष बचे चार शख्सों को हमराही जाब्ता की मदद से पकडकर नाम पता पूछा तो अपना नाम क्रमशः 1. जाहिद पुत्र छुट्टा उर्फ भूरा 2. शौकीन पुत्र इकबाल 3. अरमान पुत्र इकबाल 4. इकबाल पुत्र गजसिंह बताया। आरोपी इकबाल ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे गौमांस बेचने के लिए पैकिंग कर रहे थे । जिन्हें मोटरसाईकिलों द्वारा सुबह अलग-अलग जगहों पर बेचा जाता ।

04. छुट्टा उर्फ भूरा एवं हारून पुत्र फजरू अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गये । ये दोनों भी उनके साथ गौकशी का काम करते हैं । उक्त शख्सों

जाहिद, शौकीन, अरमान, इकबाल, छुट्टा उर्फ भूरा व हारून, मौके पर मुलजिमान के कब्जे से मिले करीब सौ किलो गौ मांस व गौवंश के अवशेषों में से पशु चिकित्सक द्वारा जांच हेतु सैम्पल लिये गये । मौके पर गौमांस करीब सौ किलो छुर्रा, कुल्हाडी, एवं लकडी का गुटका को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जब्त किया गया । एवं शेष बचे गौमांस को जे.सी.बी की मदद से खाली खेत में दबाया गया । मौके पर मुलजिम 1. इकबाल 2.शौकीन को जुर्म धारा 3,4,8 आरबीए एक्ट में मौके पर ही जरिये फर्द गिरफतार किया गया । व मुलजिम 3. अरमान, 4. जाहिद ने अपने को नाबालिग होना बताया जो दिखने में भी नाबालिग नजर आ रहे थे को मौके पर निरूद्ध किया गया। मौके से रवाना होकर वापिस थाना आये । अतः कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया .....इत्यादि ।

05. उक्त रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 747/20 थाना सदर अलवर अंतर्गत धारा 3,4,8 राजस्थान गौवंशीय पशु [वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन] नियम 1995 में दर्ज किया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 22.03.2022 को प्रस्तुत किया गया । अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 3,4,8 आरबीए एक्ट में प्रसंज्ञान लिया गया । सक्षम न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय, अलवर को उपार्पित किया गया जहां से प्रकरण वास्ते निस्तारणार्थ इस न्यायालय को अंतरित किया गया ।

06. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा **3/8, 4/8 राजस्थान गौवंशीय पशु [वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन] नियम 1995** के आरोप से आरोपित किया गया तो अभियुक्तगण ने सुन समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही । दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया ।

07. अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लिये गये । जिसमें अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया। साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा । अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर बंद किया गया ।

08. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का

ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि-

1. क्या दिनांक 23.11.2020 को समय रात्रि करीब 10.55 बजे स्थान बैडा का बास तन चन्दबास में अभियुक्तगण के कब्जे से तीन मोटरसाईकिल नंबर आर.जे 02 बी.एन 6251, आर.जे 02 जेड.एस 0909, आर.जे 02 बी.एन 2387 पर लटके थैलों में करीब सौ किलो गौ मांस व गौवंश के अवशेष बरामद हुए तथा अभियुक्तगण उक्त दिनांक को करीब सौ किलो गौमांस को पैकिंग कर परिवहित करते हुए पाये गये?

यदि हाँ तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

09. इस संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी के द्वारा कोई एफ.आई.आर थाने पर दी गयी हो ऐसी एफ.आई.आर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। और एफ.आई.आर के बाबत किसी भी गवाह ने स्पष्ट नहीं किया है कि एफ.आई.आर कब, किसने कहां पर प्रस्तुत की । अभियुक्तगण के कब्जे से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुयी है। और जो बरामदगी बतायी गयी है वह नाबालिग बच्चों से बतायी गयी है। तथा नक्शा मौका हाथ से बनाया हुआ है और बरामदगी भी खुले स्थान से की गयी है । प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं हुयी है और गवाहों ने विरोधाभासी साक्ष्य दी है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाए ।

10. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध किया । और तर्क दिया कि अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जाए ।

11. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रकरण में गवाह **पी.ड. 1 रूपचंद एएसआई है** । जिसे सर्वप्रथम घटना के बाबत जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुयी थी। और उक्त सूचना मिलने पर उसके द्वारा तत्कालीन एसएचओ ज्येष्ठा मैत्रेयी को सूचित किया गया था और सूचना देने के बाद ज्येष्ठा मैत्रेयी व अन्य सभी व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचे थे ।

12. **गवाह पी डब्ल्यू 3 परिवादी ज्येष्ठा मैत्रेयी** है । उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करती है कि वह दिनांक 23.11.2020 को थाना सदर मे एसएचओ के पद

पर पदस्थापित थी। उस दिन सरकारी वाहन मय चालक मय हमराही जाप्ता श्री रूपचंद एएसआई, कानि0 रमेश चंद, कानि0 हरिकिशन व बोलेरो चालक पप्पू के आम सूचना पर थाने से रवाना होने पर सूचना रूपचंद एएसआई मिली की ग्राम चंदबास में छुट्टा उर्फ भूरा अपने घर पर गौकशी कर रहा है। इत्तला पर मय हमराही जाप्ता मोके पर रवाना हुये। चंदबास छुट्टा उर्फ भूरा पुत्र गजसिंह के घर पहुंचे तो करीब छः लोग वहां मौजुद मिले । जिनके पास तीन मोटरसाईकिल खडी मिली जिनके नम्बर आर.जे02 बी.एन 6251, आर.जे02 जेडएस 0909 एवं आरजे02 बीएन 2387 थे । तीनों मोटरसाईकिलों पर थेले लटके हुये थें जिनमें गौवंश भरा हुआ था। तथा मोके पर उनके पास छुरे, तराजू, बाट, लकडी का गुटका, कुल्हाडी व मांस के टुकडे बिखरे हुये थे। जिस पर मोके से ही पशु चिकित्सक पशु चिकित्सालय रायबका को जरिये फोन सूचित कर मोके पर उपस्थित होने का निवेदन किया।

13. उक्त गवाह यह भी कथन करती है कि इसी दोरान अंधेरे का फायदा उठाकर दो लोग भाग गये। व चार लोगों को जाप्ते की मदद से पकड कर उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम जाहिद पुत्र छुट्टा उर्फ भूरार, शोकिन पुत्र इकबाल , अरमान पुत्र इकबाल , इकबाल पुत्र गजसिंह बताया।

14. उक्त गवाह यह भी कथन करती है कि आरोपी इकबाल ने पूछताछ में बताया कि वह गौवंश बेचने के लिए पैकिंग कर रहे थे। जिन्हें मोटरसाईकिल द्वारा सुबह अलग-अलग जगह बेचा जाता। तथा बताया कि छुट्टा उर्फ भूरा पुत्र गजसिंह, हारून पुत्र फजरू अंधेरे का फायदा उठाकर मोके से भाग गये वो दोनों भी गोकशी का काम करते है। उक्त लोग जाहिद, शोकिन, अरमान, इकबाल, छुट्टा उर्फ भूरा व हारून मोके पर मिले आरोपियान के कब्जे से 100 किलो गोमांस व गौवंश के अवशेषों में पशु चिकित्सक द्वारा जांच हेतु सैम्पल लिया गया तथा मोके पर मिले गौमांस वजनी करीब 100 किलो, छुरा, कुल्हाडी, लकडी का गुटका, तराजू बाट को जप्त कर फर्द जप्ती तैयार की तथा मुलजिमान इकबाल, शोकिन को अपराध धारा 3,4,8 आरबीए एक्ट में मोके पर ही जरिये फर्द गिरफ्तार किया व मुलजिम अरमान व जाहिद ने अपने आप को नाबालिग होना बताया जो दिखने मे भी नाबालिग नजर आ रहे थे को मौके पर निरूद्व किया।

15. उक्त गवाह यह भी कथन करती है कि मौके पर मुलजिम इकबाल पुत्र गजसिंह को दौराने कार्यवाही उसके द्वारा मौके पर गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी

प्रदर्श पी-10 बनायी थी । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी, ई से एफ गवाहान व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर मुलजिम की फोटो चस्पा है। उसी दिन मुलजिम शोकिन पुत्र इकबाल को दौराने कार्यवाही उसके द्वारा मौके पर गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-11 बनायी थी । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम, ई से एफ व जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर मुलजिम की फोटो चस्पा है। उसी दिन मुलजिमान शौकीन व इकबाल व बालअपचारी जाहिद व अरमान के कब्जे से मिले गौवंश काटने व मांस तोलने के काम आने वाले उपकरण एक कुल्हाडी दो छुर्री लोहा एक तराजू मय 05 किलो बांट लोहे का व एक लकडी का गुटका को कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-12 के जरिये उसके द्वारा जप्त कर तैयार की थी। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है सी से डी व ई से एफ गवाहान तथा जी से एच, आई से जे, के से एल, एम से एन मुलजिमान के हस्ताक्षर है।

16. उक्त गवाह यह भी कथन करती है कि उसी दिन मुलजिमान शौकीन व इकबाल व बालअपचारी जाहिद व अरमान के कब्जे से मिले गौवंश मांस के टुकडे 20 वजनी करीब 100 किलो व गौवंश अवशेष को कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-13 के जरिये उसके द्वारा जप्त कर तैयार की थी । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है सी से डी व ई से एफ गवाहान तथा जी से एच, आई से जे, के से एल, एम से एन मुलजिमान के हस्ताक्षर है। उसी दिन मोके पर ही बाल अपचारी जाहिद के कब्जे से मिली वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आरजे02 बीएन 6251 को कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-14 के जरिये उसके द्वारा जप्त कर तैयार की थी, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी व ई से एफ गवाहान व जी से एच बालअपचारी के हस्ताक्षर है।

17. उक्त गवाह यह भी कथन करती है कि उसी दिन मोके पर मुलजिम शौकीन के कब्जे से मिली वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आरजे02 जेडएस 0909 को कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-15 के जरिये उसके द्वारा जप्त कर तैयार की थी । जिस पर ए से बी उसके व सी से डी व ई से एफ गवाहान व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर है। उसी दिन मोके पर मुलजिम इकबाल के कब्जे से मिली वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आरजे02 बीएन 2387 को कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-16 के जरिये उसके द्वारा जप्त कर तैयार की थी। जिस पर ए से बी उसके व सी से डी व ई से एफ गवाहान व जी से एच मुलजिम के

हस्ताक्षर है। मोके पर उक्त कार्यवाही के उपरांत मोके से रवाना होकर पुलिस थाना पर आकर उक्त घटना की रिपोर्ट की दर्ज करवायी जिसकी रोजनामचा रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 है तथा चाक एफआईआर प्रदर्श पी-17 है । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

18. उक्त गवाह यह भी कथन करती है कि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-19 है जिसकी प्रति प्रदर्श पी-19ए है। एक शील्ड अवस्था में खाद की कट्टा जिस पर मद संख्या 1295/2020 एवं मुकदमा नम्बर 747/2020 अंकित है जिसमें एक कुल्हाडी जिस पर लकडी का बेसा लगा हुआ है जिसकी लम्बाई करीब डेढ फुट व फाल की चोडाई 12 सेमी. व लोहे की कुल्हाडी की लम्बाई 16 सेमी. है। जो आर्टिकल 1 है। तथा दो लोहे की छूरी धारदार एक की लम्बाई 28 सेमी. है जो आर्टिकल 2 है । तथा दूसरी लोहे की धारदार छूरी जिसकी लम्बाई 23 सेमी. है छूरी को पकडने के लोहे के हत्थे पर प्लास्टिक की काले रंग की टेप लगी हुयी है जो आर्टिकल 3 है। एक सुखी लकडी का गुटका चौकोर लम्बाई 23 सेमी. उंचाई 25 सेमी. व चोडाई 22 सेमी. है जिस पर खून का धब्बा लगा हुआ है जो आर्टिकल 4 है। तथा एक तराजू लोहे की जिसकी लम्बाई ढाई फुट जिसमें लोहे की चैन से गोल पलडे लगे हुये है, जो आर्टिकल 5 है । तथा एक 5 किलों का लोहे का बाट जो आर्टिकल 6 है।

19. उक्त गवाह यह भी कथन करती है कि वह दिनांक 23.11.2020 को थाना सदर में एसएचओ के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन उनके द्वारा रोजनामचा रपट संख्या-9 लिखवाई गई थी जो प्रदर्श पी -47 है। जिस पर ऐ से बी उसके हस्ताक्षर है।

20. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि मुखबिर की सूचना रूपचंद एएसआई को मिली थी और उन्होंने उसे फोन करके बुलाया था। जिस पर वह जाब्ते के साथ वहां पहुंचे थे । तथा उसके पहुंचने से पहले रूपचंद आदि ने वहां कोई कार्यवाही नहीं की थी । जिरह में उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करती है कि घटना रात के समय की है और वह किसी अभियुक्त को नहीं पहचानते हैं तथा उसके द्वारा अनुसंधान नहीं किया गया ।

21. इस संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि परिवादी ज्येष्ठा मैत्रेयी एसएचओ के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान नहीं किया गया है

और अनुसंधान अधिकारी साक्ष्य में उपस्थित नहीं आया । तो अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम सूचना रूपचंद को मिलने के बाद एसएचओ ज्येष्ठा मैत्रेयी भी उसकी सूचना पर घटनास्थल पर गयी और अनुसंधान इसराईल अहमद को सौंपा गया, परन्तु दौराने अनुसंधान इसराईल अहमद की मृत्यु हो जाने के कारण पी डब्ल्यू 6 मनोज कुमार के द्वारा शेष अनुसंधान किया गया । और मनोज के बाद पी डब्ल्यू 1 रूपचंद के द्वारा संपूर्ण अनुसंधान किया गया । इसराईल अहमद की मृत्यु होने के कारण उसे गवाह सूची में भी स्थान नहीं दिया गया । और मनोज व रूपचंद दोनों ही गवाह पी डब्ल्यू 6 व पी डब्ल्यू 1 के रूप में न्यायालय में साक्ष्य हेतु आये हैं। इसलिए अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क कि अनुसंधान अधिकारी की प्रकरण में साक्ष्य लेखबद्ध नहीं हुयी है वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

22. अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि परिवादी ज्येष्ठा मैत्रेयी के द्वारा किसी भी अभियुक्त की कोई पहचान नहीं की गयी है और ना ही वह उनको पहचानती थी । तो अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि पुलिस थाने में एसएचओ सभी अभियुक्तगण को पहले से जाने पहचाने । प्रकरण में दो बाल अपचारी जाहिद व अरमान व अभियुक्तगण शौकीन व इकबाल को घटनास्थल से पकडा गया था और उन्हें पकडकर थाने लाया गया था । इसलिए अभियुक्तगण की पहचान की कोई आवश्यकता भी नहीं रही और उनको पहचानना किसी भी व्यक्ति के द्वारा आवश्यक नहीं था ।

23. प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण **गवाह पी डब्लयू 1 रूपचंद, पी डब्लयू 4 रमेश चंद** है। जो जाब्ते के गवाह होकर चश्मदीद गवाह हैं। उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में यह उल्लेख करते हैं कि दिनांक 23.11.2020 को दौराने गश्त रात्रि करीब 10.55 बजे सूचना मिली कि छुट्टा उर्फ भूरा निवासी चंदबास अपने घर पर गौकशी का कार्य कर रहा है। सूचना पर मय जाब्ता घटना की तस्दीक कर एसएचओ साहब को इत्तला कर बुलवाया। हमराह साथ लेकर मौके पर पहुंचे जहां पर छुट्टा उर्फ भूरा के घर पर गौमांस व तराजू बाट, छुरी, कुल्हाडी, लकडी का गुटका पडे हुए थे। वहां पर छः शक्स मौजूद थे जिनके पास तीन मोटरसाईकिलें जिनके दोनों ओर प्लास्टिक के थैलों में गौ मांस भरा हुआ था। अंधेरे का फायदा उठाकर दो शक्स मौके से भागने में सफल हो गए। बाकी बचे चार शक्स को

जाब्ते की मदद से पकडा और नाम पता पूछा जिन्होनें अपना नाम ईकबाल, शौकीन बतया व दो के नाम काफी समय होने के कारण उसे ध्यान नहीं है। पकडे गये शक्सों के द्वारा दो भागे गये शक्सों के नाम छुट्टा उर्फ भूरा बताया तथा दूसरे का नाम काफी समय होने के कारण उसे ध्यान नहीं है। मौके पर ही मिले गौ मांस व गौ अवशेष, तराजू बाट, कुल्हाडी व लकडी का गुटका को एसएचओ साहब द्वारा जब्त किया गया।

24. उक्त गवाहान यह भी कथन करते हैं कि मुल्जिमान को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। दो शक्स जो अपने आप को नाबालिग बता रहे थे व दिखने में भी नाबालिग ही लग रहे थे, उसकी फर्द निरूद्धगी एसएचओ साहब द्वारा तैयार की गई थी। मौके पर ही पशु चिकित्सक को फोन करके बुलाया गया और गौमांस के परीक्षण हेतु सैम्पल लिए गये। वह मय गिरफ्तारशुदा व निरूद्ध मुल्जिमान हाजिर थाना आए तथा थानाधिकारी के द्वारा थाना हाजा पर रोजनामचा में अपनी वापसी दर्ज करवाई जो शामिल पत्रावली है।

25. गवाह पी डब्ल्यू 1 रूपचंद यह भी कथन करता है कि जिस वापसी रोजनामचा रपट के आधार पर मु. नं. 747/2020 अंतर्गत धारा 3, 4, 8 आर बी एक्ट दर्ज करवाया जो चाक एफआईआर प्रदर्श पी 17 है । जिस पर ए से बी थानाधिकारी ज्येष्ठा मैत्रेयी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात मुकदमे की जांच इसराईल अहमद एएसआई को सुपुर्द की गई जिसके द्वारा मौके पर एसएचओ साहब के द्वारा जब्त किये गये गौ मांस के टुकडों की फर्दात् व जब्तशुदा कुल्हाडी, छुरी लोहा, तराजू मय बाट, लकडी का गुटका व मोटरसाईकिल की जब्तियां एवं मुल्जिम इकबाल व शौकीन की गिरफ्तारी की फर्द को शामिल पत्रावली किया गया । जो फर्द गिरफतारी मुल्जिम इकबाल की प्रदर्श पी 10 है। मुल्जिम शौकीन की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 11 है। वजह सबूत उपकरण कुल्हाडी, दो छुरी लोहा, एक तराजू मय पांच किलो का बाट लोहे का व लकडी का गुटका जब्त किया जिनकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 12 है। गौवंश मांस के बीस टुकडे वजनी करीब 100 किलो व गौवंश अवशेष जब्त किये जिनकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 है।

26. गवाह पी डब्लयू 1 रूपचंद यह भी कथन करता है कि एक मोटरसाईकल नं. आर जे 02 बी एन 6251 मौके से जब्त की जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 14 है। मोटरसाईकल नं. आर जे 02 जेड एस 0909 मौके से जब्त की जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 15 है। मोटरसाईकल नं. आर जे 02 बी एन 2387 मौके से जब्त

की जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 16 है। जिन सभी फर्दात पर ए से बी एसएचओ ज्येष्ठा मैत्रेयी के हस्ताक्षर है जिनके अधीनस्थ कार्य करने के कारण वह उनके हस्ताक्षर को पहचानता है जिन सभी फर्दात को ईसराईल अहमद एएसआई अनुसंधान अधिकारी द्वारा शामिल पत्रावली कर अनुसंधान कार्यवाही आरम्भ कर उसके व ज्येष्ठा मैत्रेयी, रमेश चंद, हरि किशन के बयान 161 सीआरपीसी उनके कहे अनुसार दर्ज किये ।

27. गवाह पी डब्ल्यू 1 रूपचंद यह भी कथन करता है कि घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 तैयार किया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी इसराईल अहमद के हस्ताक्षर है जिनके द्वारा उसके साथ काम किये जाने के कारण वह उनके हस्ताक्षर को पहचानता है तथा ई से एफ हालात नक्शा मौका अंकित है। इसके पश्चात इसराईल अहमद का स्वर्गवास हो जाने के कारण पत्रावली जांच हेतु श्री मनोज कुमार एएसआई के जिम्मे की गई जिनके द्वारा दौराने अनुसंधान एफएसएल हेतु भेजे गये माल को शामिल पत्रावली करने के उपरांत उनका स्थानांतरण हो जाने के कारण पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई।

28. गवाह पी डब्ल्यू 1 रूपचंद यह भी कथन करता है कि उसके द्वारा दिनांक 08.07.2021 को मुल्जिम छुट्टा उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 2 तैयार की । जिस पर ए से बी उसके, सी से डी गवाह प्रकाश कानि. व ई से एफ गवाह दलीप कुमार कानि. एवं जी से एच मुल्जिम छुट्टा के हस्ताक्षर है। उसी दिन मुल्जिम हारून पुत्र फजरू को गिरफ्तार किया जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 3 तैयार की । जिस पर ए से बी उसके, सी से डी गवाह प्रकाश कानि. व ई से एफ गवाह दलीप कुमार कानि. एवं जी से एच मुल्जिम हारून के हस्ताक्षर है।

29. गवाह पी डब्लयू 1 रूपचंद यह भी कथन करता है कि उसी दिन गिरफ्तारशुदा मुल्जिम छुट्टा उर्फ भूरा एव हारून की निशादेही में तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल चंदबास चिरखाना बनाया गया जो प्रदर्श पी 6 है । जिस पर ए से बी उसके, सी से डी गवाह प्रकाश कानि. व ई से एफ गवाह दलीप कुमार कानि. एवं जी से एच मुल्जिम छुट्टा के व आई से जे मुल्जिम हारून के हस्ताक्षर है तथा के से एल हालात नक्शा मौका अंकित है। दिनांक 05.12.2021 को मुल्जिम अनीश खां को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी तैयार की जो प्रदर्श पी 4 है । जिस पर ए से बी उसके, सी से डी गवाह अरशद कानि., ई से एफ गवाह

दलीप शर्मा कानि. तथा जी से एच मुल्जिम अनीश के हस्ताक्षर है। दिनांक 05.12.2021 को मुल्जिम सलीम खां को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी तैयार की जो प्रदर्श पी 5 है। जिस पर ए से बी उसके, सी से डी गवाह अरशद कानि., ई से एफ गवाह दलीप शर्मा कानि. तथा जी से एच मुल्जिम सलीम के हस्ताक्षर है।

30. गवाह पी डबल्यू 1 रूपचंद यह भी कथन करता है कि अगले दिन दिनांक 06.12.2021 को गिरफ्तारशुदा मुल्जिम अनीश व सलीम की निशादेही से तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल चंदबास चिरखाना बनाया गया जो प्रदर्श पी 7 है । जिस पर ए से बी उसके, सी से डी गवाह अरशद खां कानि. के, ई से एफ गवाह दलीप कानि. के, व जी से एच मुल्जिम अनीश व आई से जे मुल्जिम सलीम के हस्ताक्षर है तथा के से एल हालात नक्शा मौका अंकित है। उपनिदेशक पशु चिकित्सालय अलवर को मृत गोवंश के खाल व मांस का पोस्टमार्टम बोर्ड गठित करवाने हेतु दी गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 है । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिमान से जब्त गौ अवशेष व गौ मांस को पशु चिकित्सक जितेन्द्र यादव, संजीव खां एवं विमल कुमार की उपस्थिति में फोटोग्राफी के पश्चात गहरा गड्ढा खुदवाकर दबवाया जाकर निस्तारण किया गया । जिसकी फर्द प्रदर्श पी 9 है । जिस पर ए से बी उसके, सी से डी पशु चिकित्सक जितेन्द्र यादव, ई से एफ पशु चिकित्सक विमल कुमार एवं जी से एच पशु चिकित्सक संजीव खां के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात दौराने जांच उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर की प्रति ली जाकर शामिल पत्रावली की तथा मुल्जिमान अनीश खां, सलीम, छुट्टा उर्फ भूरा व हारून का सजायाबी रिकॉर्ड लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

31. गवाह पी डब्लयू 1 रूपचंद यह भी कथन करता है कि सम्पूर्ण तफ्तीश से मुल्जिमान इकबाल पुत्र गज सिंह , शौकीन पुत्र ईकबाल , जाहिद पुत्र छुट्टी उर्फ भूरा , अरमान पुत्र इकबाल , हारून पुत्र फजरू , छुट्टी उर्फ भूरा पुत्र गजसिंह , अनीश खां पुत्र छुट्टी उर्फ भूरा, सलीम खां पुत्र रजमत के विरूद्ध अपराध धारा 3, 4, 8 आर बी एक्ट का प्रमाणित पाया जाने पर पत्रावली चालानी आदेश हेतु श्रीमान एसएचओ साहब को पेश की गई । जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर से चालानी आदेश प्राप्त कर चार्जशीट नं. 808/21 दिनांक 28.12.2021 अतर्गत धारा 3, 4, 8 आरबी एक्ट में मुल्जिमान इकबाल पुत्र गजसिंह , शौकीन पुत्र ईकबाल , हारून पुत्र फजरू , छुट्टी उर्फ भूरा पुत्र गजसिंह , अनीश खां पुत्र छुट्टी उर्फ भूरा , सलीम खां पुत्र रजमत के विरूद्ध न्यायालय

श्रीमान में चार्जशीट पेश की गई एवं बाल अपचारी जाहिद पुत्र छुट्टी उर्फ भूरा उम्र 17 साल, अरमान पुत्र इकबाल 15 साल के विरूद्ध बाल न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी एसएचओ राजेश शर्मा के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर वह उनके अधीनस्थ कार्य करने के कारण पहचानता है ।

32. गवाह पी डब्ल्यू 4 रमेश चंद यह भी कथन करता है कि मुलजिम इकबाल पुत्र गज सिह को दौराने कार्यवाही थानाधिकारी के द्वारा मौके पर गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-10 बनायी थी । जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन मुलजिम शोकिन पुत्र इकबाल को दौराने कार्यवाही थानाधिकारी के द्वारा मौके पर गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-11 बनायी थी । जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं।

33. गवाह पी.ड. 04 रमेश चन्द यह भी कथन करता है कि उसी दिन मुलजिमान शौकीन व इकबाल व बाल अपचारी जाहिद व अरमान के कब्जे से मिले गौवंश काटने व मांस तोलने के काम आने वाले उपकरण एक कुल्हाडी दो छुर्री लोहा एक तराजू मय 05 किलो बांट लोहे का व एक लकडी का गुटका को कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-12 के जरिये थानाधिकारी द्वारा जप्त कर तैयार की थी । जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन मुलजिमान शौकीन व इकबाल व बालअपचारी जाहिद व अरमान के कब्जे से मिले गौवंश मांस के टुकडे 20 वजनी करीब 100 किलो व गौवंश अवशेष को कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-13 के जरिये थानाधिकारी के द्वारा जप्त कर तैयार की थी । जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन मोके पर ही बाल अपचारी जाहिद के कब्जे से मिली वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आरजे02 बीएन 6251 को कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-14 के जरिये थानाधिकारी के द्वारा जप्त कर तैयार की थी । जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

34. गवाह पी.ड. 04 रमेश चन्द यह भी कथन करता है कि उसी दिन मौके पर मुलजिम शौकीन के कब्जे से मिली वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आरजे02 जेडएस 0909 को कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-15 के जरिये थानाधिकारी के द्वारा जप्त कर तैयार की थी। जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन मोके पर मुलजिम इकबाल के कब्जे से मिली वाहन

मोटरसाईकिल नम्बर आरजे02 बीएन 2387 को कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-16 के जरिये थानाधिकारी के द्वारा जप्त कर तैयार की थी । जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रकरण दर्ज होने के उपरांत आईओ द्वारा घटनास्थल का नक्शा मोका प्रदर्श पी-1 उसके सामने तैयार किया था जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मोके पर मिले गोमांस का पशु चिकित्सक जितेन्द्र यादव, संजीव खां व विमल कुमार के द्वारा मुयाअना उपरांत गोअवशेष व गोमांस को उसके व बुद्वराम कानि0 की उपस्थिति में एक गहरा गड्डा खुदवाकर दबाया गया जिसकी फर्द आईओ द्वारा प्रदर्श पी-09 तैयार की गयी।

35. **गवाह पी डब्ल्यू 2 हरिकिशन** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 24.11.2020 को थाना सदर मे कानि0 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन आई.ओ साहब ने नक्शा मौका प्रदर्श पी-01 बनाया था जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम इकबाल पुत्र गजसिह निवासी बेंडा का बास तन चन्दबास थाना सदर को दौराने कार्यवाही उसके सामने मौके पर गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-10 उसके सामने बनायी थी । जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिम शौकीन पुत्र इकबाल निवासी बेंडा का बास तन चन्दबास थाना सदर को दौराने कार्यवाही उसके सामने मौके पर गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-11 उसके सामने बनायी थी । जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिमान शौकीन व इकबाल व बालअपचारी जाहिद व अरमान के कब्जे से मिले गौवंश काटने व मांस तोलने के काम आने वाले उपकरण एक कुल्हाडी दो छुर्री लोहा एक तराजू मय 05 किलो बांट लोहे का व एक लकडी का गुटका को कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-12 के जरिये उसके सामने जप्त किया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

36. गवाह पी डब्लयू 2 हरिकिशन यह भी कथन करता है कि उसी दिन मुलजिमान शौकीन व इकबाल व बाल अपचारी जाहिद व अरमान के कब्जे से मिले गौवंश मांस के टुकडे 20 वजनी करीब 100 किलो व गौवंश अवशेष को कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-13 के जरिये उसके सामने जप्त किया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिमान शौकीन के कब्जे से मिली वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आरजे02 जेडएस 0909 को कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-15 के जरिये उसके सामने जप्त किया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिम इकबाल के कब्जे से मिली वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आरजे02 बीएन 2387 को कब्जा पुलिस लिया

जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-16 के जरिये उसके सामने जप्त किया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

37. जिरह में उक्त सभी गवाह अपनी मुख्य परीक्षा की पुष्टि में कथन करते हैं और स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि जो छुर्रा जब्त किया गया था उसमें कोई हत्था नहीं था तथा लोहे के बाट आदि भी वहां रखे हुए थे जो उनके द्वारा जब्त किये गये थे । तथा गौमांस आदि सामान खुले छप्पर के नीचे रखा हुआ था तथा गौमांस की जांच करने के लिए डॉक्टर को बुलाया था ।

38. इस प्रकार गवाह पी डब्लयू 2 हरिकिशन व पी डब्लयू 4 रमेश चंद अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में घटनास्थल से प्रदर्श पी 12 अनुसार कुल्हाडी, दो छुर्री लोहा, एक तराजू मय पांच किलो बाट लोहे का व लकडी का गुटका आदि सामान की जब्ती की पुष्टि करते हैं।

नोट-प्रकरण में अभियुक्तगण जाहिद व अरमान जो बाल अपचारी हैं जिनके विरूद्ध चालान बाल न्यायालय में पेश किया जा चुका है अतः उनसे संबंधित दस्तावेजों का विवेचन नहीं किया जा रहा है। तथा मोटरसाईकिल नंबर आर.जे 02 बी.एन 6251 जो बाल अपचारी जाहिद से जब्त की गयी थी उसका भी विवेचन नहीं किया जा रहा है।

39. गवाह पी डब्ल्यू 1 रूपचंद अपनी जिरह में यह यह स्वीकार करता है कि पत्रावली पर चाक एफ.आई.आर व तहरीरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। और जो सामान जब्त किया गया था वह किसी अभियुक्त से जब्त नहीं किया गया, बल्कि घटनास्थल पर ही सारे सामान गौमांस, कुल्हाडी, तराजू, बाट, छुर्रा आदि रखा हुआ था । जो उनके द्वारा जब्त किया गया था तथा गाय काटने का कार्य किसने किया इस संबंध में उसे जानकारी नहीं है।

40. इस प्रकार यद्यपि कोई गवाह यह कथन नहीं करता है कि गाय किसने काटी, परन्तु कटा हुआ गौमांस और गाय काटने के सारे औजार घटनास्थल पर मौजूद पाये गये । जो पुलिस के द्वारा प्रदर्श पी 12 के तहत जब्त किये गये । और घटनास्थल पर ही चार अभियुक्तगण को पुलिस ने गिरफतार किया, और दो अभियुक्तगण घटनास्थल से भाग गये । जिन्हें बाद में अनुसंधान अधिकारी ने दौराने अनुसंधान गिरफ्तार किया । व दो अन्य अभियुक्तगण **अनीश व सलीम**

को भी घटना में शामिल मानते हुए पुलिस के द्वारा आठ व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार किया गया । जिसमें प्रकरण में अभियुक्त जाहिद व अरमान बाल अपचारी होने के कारण उनके विरूद्ध चालान बाल न्यायालय में पेश किया गया और शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय में चालान पेश किया गया । जिसकी पुष्टि गवाह पी डब्ल्यू 1 रूपचंद , पी डब्ल्यू 2 हरिकिशन, पी डब्ल्यू 4 रमेश चंद व पी डब्ल्यू 6 मनोज कुमार द्वारा स्पष्ट रूप से की गयी है।

41. **गवाह पी डब्ल्यू 5 दिलीप** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 08.07.2021 को वह पुलिस थाना सदर अलवर में कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नं. 747/20 धारा 3,4,8 आर.बी. एक्ट में मुलजिम छुट्टी उर्फ भूरा पुत्र श्री गजसिंह जाति मेव निवासी चंदबास चिरखाना पुलिस थाना सदर में आईओ साहब ने उसके व प्रकाश कानि. के सामने मुलजिम की फर्द गिरफतारी तैयार की थी जो प्रदर्श पी-2 है । जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुकदमा नं. 747/20 धारा 3,4,8 आर.बी. एक्ट में मुलजिम हारून पुत्र श्री फजरू जाति मेव निवासी चंदबास चिरखाना पुलिस थाना सदर में आईओ साहब ने उसके व प्रकाश कानि के सामने मुलजिम की फर्द गिरफतारी तैयार की थी जो प्रदर्श पी-3 है । जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल चंदबास चिरखाना का नक्शा मौका तैयार किया था जो प्रदर्श पी-6 है जिस पर भी ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

42. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि अभियुक्त छुट्टा आदि को उसके सामने गिरफ्तार किया था । गिरफ्तारी की सूचना मोबाईल पर दी थी, किसे दी थी उसे जानकारी नहीं है। परन्तु घटनास्थल उसके सामने बनाया गया था । इस प्रकार उक्त् गवाह अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में अभियुक्त की गिरफ्तारी और तस्दीक घटनास्थल की पुष्टि में कथन करता है।

43. **गवाह पी डब्ल्यू 6 मनोज कुमार** है। जिसने प्रथम अनुसंधान अधिकारी इसराईल अहमद की मृत्यु होने के बाद कुछ समय के लिए अनुसंधान किया था । उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 01.03.2021 को पुलिस थाना सदर अलवर मे ए.एस.आई के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसे मु0न0 747/2020 की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान एफ.एस.एल जमा रसीद प्रदर्श पी-20 व एफ.एस.एल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-21 को शामिल पत्रावली किया गया जिन पर ए से बी शामिल

पत्रावली किये जाने का नोट एवं सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

44. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी इसराईल अहमद ए.एस.आई के द्वारा प्रकरण मे परिवादिया ज्येष्ठा मेत्री आई.पी.एस एवं गवाहान रूपचन्द, रमेश चन्द, हरिकिशन, के बयान 161 सीआरपीसी उनके कहेअनुसार लेखबद्व किये गये। ए.एस.आई इसराईल अहमद की मृत्यु हो चुकी है जिसके हस्ताक्षरों को वह उनके साथ कार्य किये जाने के कारण पहचानता है। प्रकरण से संबंधित रोजनामचा रपट प्रदर्श पी-22 लगायत प्रदर्श पी-26 व प्रदर्श पी-18 शामिल पत्रावली है। उसका स्थानान्तरण हो जाने के कारण पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु रूप चन्द ए.एस.आई को सुपुर्द कर दी गई।

45. जिरह में भी उक्त गवाह यह कथन करता है कि उसके द्वारा किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गयी और पूर्व के अनुसंधान अधिकारी के लिये गये बयानों के अतिरिक्त उसने अलग से कोई अनुसंधान नहीं किया । और रोजनामचा रपट उसके द्वारा पत्रावली में शामिल की गयी थी ।

46. पत्रावली पर प्रदर्श पी 22 से प्रदर्श पी 26 के दस्तावेजों का अवलोकन करें तो प्रदर्श पी 22 से प्रदर्श पी 26 रोजनामचा की रपट पत्रावली पर उपलब्ध करवायी गयी है। जिसमें स्पष्ट रूप से रूपचंद को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त होना और उसके बाद उसके द्वारा एसएचओ को सूचना देने और उक्त सूचना पर जाब्ते के साथ रूपचंद व एसएचओ का घटनास्थल पर पहुंचना और वहां पर कार्यवाही करके अभियुक्तगण को लेकर थाने पर आना और उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाना तथा माल को जमा करवाये जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है।

47. इस प्रकार पत्रावली पर रोजनामचा की संपूर्ण प्रति उपलब्ध् है जिससे यह स्पष्ट है कि एसएचओ ज्येष्ठा मैत्रेयी द्वारा रोजनामचे में संपूर्ण तथ्यों का अंकन किया गया है। तथा ज्येष्ठा मैत्रेयी द्वारा मजमून रिपोर्ट प्रदर्श पी 47 स्पष्ट रूप से पत्रावली पर उपलब्ध करायी है जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था ।

48. अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि किस मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी थी और मुखबिर का नाम , पता नहीं बताया गया है। और ना ही मुखबिर की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी है । तो अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि मुखबिर एक गोपनीय व्यक्ति होता है और

जिसकी जानकारी पुलिस द्वारा अन्य व्यक्तियों को देना आवश्यक नहीं है और ना ही उसकी साक्ष्य लेखबद्ध करवाना आवश्यक है।

49. **गवाह पी डबल्यू 7 डॉ. विमल कुमार, गवाह पी डबल्यू 8 डॉ. जितेन्द्र यादव, गवाह पी डब्ल्यू 9 डॉ. संजीव खां** मुख्य परीक्षा में कथन करते हैं कि वे दिनांक 24.11.2020 को क्रमशः पशु चिकित्सालय बुद्धविहार अलवर, पशु चिकित्सालय कारोली अलवर, व पशु चिकित्सालय रायबका अलवर में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उस दिन थाना अधिकारी थाना सदर के द्वारा गोवंश के खाल व मांस का पोस्टमार्टम करवाये जाने बाबत बोर्ड गठित किये जाने बाबत उपनिदेशक बहुउदेश्य पशु चिकित्सालय अलवर को प्रस्तुत की। जिस पर बोर्ड गठित किये जाने पर उन्हें बोर्ड के सदस्य नियुक्त किये गये। उनके द्वारा गोमांस व गो अवशेष का परीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई जो निम्न प्रकार है- गाय का सिर जिसमें गाय की खाल की लगी थी, गाय के पैर, खुर एवं खाल सहित थे, गाय की सफेद रंग की खाल थोरक्स से पूंछ तक थी। पूंछ का स्वीच काले रंग का एवं खाल से गाय के थन भी जुडे हुए थे। साथ मे पेशियां, हडिडयां एवं फेसिया भी थे, प्राप्त मीट का रंग लाल भुरा तथा पीले वसा से युक्त था, गोवंश की मृत्यु जांच से लगभग 06 घण्टे पूर्व की है। उनकी राय में प्राप्त मीट के टुकडे एवं खाल मादा गोवंश का प्रतीत होता है तथा फाईनल रिपोर्ट के लिए सैम्पल एफएसएल जयपुर भेजे जाकर एफएसएल से राय आने तक सुरक्षित रखी गई। उनके द्वारा बनाई गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 27 है । जिस पर ऐ से बी डॉ विमल कुमार व सी से डी डॉ. जितेन्द्र यादव के व ई से एफ डॉ संजीव खां के हस्ताक्षर है तथा सी से डी उनकी राय है।

50. उक्त गवाहान यह भी कथन करते हैं कि एफएसएल भेजने की तहरीर प्रदर्श पी 28 उनके द्वारा तैयार की गई । जिस पर ए से बी डॉ विमल कुमार व सी से डी डॉ संजीव खां के व ई से एफ डॉ जितेन्द्र यादव के हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर 04 जगह नमूना सील अंकित है । बाद परीक्षण उनके द्वारा गो अवशेष व गो मांस को गहरा गडडा खुदवाकर वैज्ञानिक तरीके से दबा दिया गया । जिसकी फर्द निस्तारण प्रदर्श पी 09 उनके द्वारा तैयार की गई । जिस पर ई से एफ डॉ. विमल कुमार के, सी से डी डॉ जितेन्द्र यादव के व जी से एच डॉ संजीव खां के हस्ताक्षर है। थानाधिकारी के द्वारा बोर्ड गठित हेतु दिया गया पत्र प्रदर्श पी 08 है । जिस पर बोर्ड गठित के आदेश के उपरान्त सी से डी उनके अधिकारी डा. अशोक कुमार के हस्ताक्षर है, जिनके अधीनस्थ कार्य किये जाने के कारण वह

उनके हस्ताक्षर को पहचानते हैं । एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 21 है, जिसके अनुसार भेजे गये सैम्पल की प्रजाति बोवाइन है जिसका तात्पर्य गोवंश है।

51. जिरह में उक्त तीनों गवाह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि गाय के अवशेष वैज्ञानिक तरीके से खड्डा खोदकर जमीन में दबाये गये थे और केवल जीव के मांस को देखकर यह नहीं बता सकते कि वह मांस किसका है। परन्तु उक्त तीनों गवाह अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में यह स्पष्ट कथन करते हैं कि पुलिस के द्वारा बुलाने पर उन्होंने गाय के अवशेष आदि देखे और जिन्हें खड्डा खोदकर दबाया गया । तथा इसके साथ ही उक्त तीनों गवाहों ने अवशेष भी देखे हैं । परन्तु मांस गाय का है इस संबंध में उन्होंने कोई विशेष राय नहीं दी है, परन्तु इस संबंध में एफ.एस.एल रिपोर्ट प्रदर्श पी 21 पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें उक्त मांस गाय का होने की पुष्टि की गयी है।

52. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्तशुदा माल आदि को एफएसएल जांच हेतु भी भेजा गया और जिसकी एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 21 पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रदर्श पी 21 का अवलोकन करें तो एफएसएल रिपोर्ट में जब्तशुदा मांस को गौमांस बताया गया है। तथा गाय की हत्या के बाद उसके शरीर के अन्य भाग भी घटनास्थल से पुलिस के द्वारा जब्त किये गये हैं। जिनकी जब्ती प्रदर्श पी 12 है। ओर उक्त जब्ती को पी डब्ल्यू 2 हरिकिशन व पी डब्ल्यू 4 रमेश के द्वारा साबित किया गया है।

53. घटनास्थल पर जाहिद, अरमान, शौकीन, इकबाल उपस्थित मिले । जिन्हें पुलिस के द्वारा उसी समय गिरफ्तार किया गया था और दो व्यक्ति जाहिद व अरमान नाबालिग थे जिनको बाल न्यायालय भेजा दिया गया । तथा जो दो व्यक्ति भाग गये थे उसके बाबत पुलिस ने अनुसंधान किया और जो छुट्टी उर्फ भूरा व हारूण थे । उक्त दोनों व्यक्ति उस समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं रहे हो और वह पुलिस को देखकर घटनास्थल छोडकर नहीं भागे हों ऐसा भी उक्त अभियुक्तगण ने साबित नहीं किया है। तथा जिस स्थान से सामान की जब्ती की है वह स्थान भी छुट्टा व हारूण के कब्जेशुदा स्थान था जिसकी पुष्टि गवाहों के द्वारा की गयी है। इसलिए प्रकरण में अभियुक्तगण इकबाल, शौकीन, हारूण, छुट्टी उर्फ भूरा के विरूद्ध आरोप साबित होता है।

54. जहां तक अभियुक्तगण अनीश व सलीम के संबंध में प्रश्न है तो परिवादी ने अपनी एफआईआर में भी कहीं पर भी यह तथ्य अंकित नहीं किये कि पुलिस को देखकर चार व्यक्ति भागे हो । बल्कि केवल दो व्यक्तियों के भागने का ही कथन किया है और उसके अलावा अनीश व सलीम को किन व्यक्तियों की सूचना के आधार पर पुलिस ने मुलजिमान माना और उक्त दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस ने क्या साक्ष्य एकत्रित की और इनके विरूद्ध क्यों आरोप माना गया इस संबंध में ना तो चालान में कोई तथ्य अंकित किया गया है और ना ही धारा 27 की सूचना उक्त दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर है। अतः ऐसी स्थिति में **अभियुक्तगण अनीश व सलीम** को अपराध अंतर्गत धारा **3/8, 4/8 राजस्थान गौवंशीय पशु [वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन] नियम 1995 के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।**

तथा अभियुक्तगण इकबाल, शौकीन, हारून, छुट्टी उर्फ भूरा को अपराध अंतर्गत धारा 3/8, 4/8 राजस्थान गौवंशीय पशु [वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन] नियम 1995 के तहत दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

55. अतः अभियुक्तगण **1. ईकबाल** पुत्र श्री गजसिंह **2. शौकिन** पुत्र ईकबाल **3. हारून** पुत्र फजरू **4. छुट्टी उर्फ भूरा** पुत्र गजसिंह निवासीयान चन्द बास चिरखाना थाना सदर जिला अलवर को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 3/8, 4/8 राजस्थान गौवंशीय पशु [वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन] नियम 1995** में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

तथा अभियुक्तगण 5. अनीश खान पुत्र छुट्टी **6. सलीम खान** पुत्र रजमत निवासीयान चन्द बास चिरखाना थाना सदर जिला अलवर को अपराध अंतर्गत धारा **3/8, 4/8 राजस्थान गौवंशीय पशु [वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन] नियम 1995 के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।**

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया ।

56. दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्तगण को सुना गया । दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है वह आगे ऐसा अपराध नहीं करेगें । अभियुक्तगण वर्ष 2022 से अन्वीक्षा भुगत रहें हैं । उनके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्तगण को कम से कम सजा दी जावे ।

57. जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण को उनके कृत्य की अधिक से अधिक सजा दी जावे ।

58. उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

59. उभय पक्षों की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण वर्ष 2022 से अन्वीक्षा भुगत रहें हैं । परन्तु दिनांक 23.11.2020 को अभियुक्तगण के कब्जे से तीन मोटरसाईकिल नंबर आर.जे 02 बी.एन 6251, आर.जे 02 जेड.एस 0909, आर.जे 02 बी.एन 2387 पर लटके थैलों में करीब सौ किलो गौ मांस व गौवंश के अवशेष बरामद हुए तथा अभियुक्तगण उक्त दिनांक को करीब सौ किलो गौमांस को पैकिंग कर परिवहित करते हुए पाये गये । ऐसी दशा में अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

दंडादेश

60. अतः अभियुक्तगण **1. ईकबाल** पुत्र श्री गजसिंह **2. शौकिन** पुत्र ईकबाल **3. हारून** पुत्र फजरू **4. छुट्टी उर्फ भूरा** पुत्र गजसिंह निवासीयान चन्द बास चिरखाना थाना सदर जिला अलवर को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 3/8, 4/8 राजस्थान गौवंशीय पशु [वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन] नियम 1995** में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर निम्न दंड से दंडित किया जाता है-

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	धारा	सजा	जुर्माना	अदम अदायगी जुर्माना
1 2	अभियुक्त **इकबाल** अभियुक्त **शौकीन**	**धारा 3/8, राजस्थान गौवंशीय पशु [वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन] नियम 1995**	प्रत्येक अभियुक्त को तीन वर्ष का कठोर कारावास	प्रत्येक अभियुक्त को दस हजार रूपये अर्थदंड	अदम अदायगी अर्थदंड प्रत्येक अभियुक्त छः माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतेगा
3. 4	अभियुक्त **हारून** अभियुक्त **छुट्टी उर्फ भूरा**	**धारा 4/8 राजस्थान गौवंशीय पशु [वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन] नियम 1995**	प्रत्येक अभियुक्त को एक वर्ष का कठोर कारावास	प्रत्येक अभियुक्त को पांच हजार रूपये अर्थदंड	अदम अदायगी अर्थदंड प्रत्येक अभियुक्त दो माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतेगा

61. अभियुक्तगण द्वारा पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में भुगती हुई सजा को मूल सजा में धारा 428 सी.आर.पी.सी के तहत समायोजित किया जावे ।

62. सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेगी ।

63. अभियुक्तगण का सजा वारण्ट पृथक से बनाया जावे ।

64. प्रकरण में जब्तशुदा मोटरसाईकिल नंबर आर.जे 02 जेड.एस 0909 व मोटरसाईकिल नंबर आर.जे 02 बी.एन 2387 का सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निरस्त समझा जावे ।

65. प्रकरण में जब्तशुदा कुल्हाडी, छुर्री लोहा, एक तराजू मय पांच किलो बाट व लकडी का गुटका बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किये जाए ।

66. निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को अविलंब निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

67. निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर